



## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प भोपाल १८८ विगरानी होश्जावाय अन्यो २०१२ (6)

प्रस्तुत दिनांक : 28.06.2017

मा प्रापी अवन्त्र महारा २६-६१७ । क्षेत्रमा मिली

प्रेमशंकर चौघरी आत्मज श्री कामता प्रसाद चौघरी निवासी- पुरानी इटारसी, तहसील इटारसी, जिला होथंगाबाद \_\_\_\_\_ बनाम

-- पुनरीक्षणकता

---- उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निम्न निवेदन करता है :--

पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुवत महोदय नर्मदपुरम संभाग होशंगाबाद के राजस्व प्रकरण क्रमांक १२९अपील वर्ष २०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक २८.०४.२०१७ से क्षुब्द्र एवं दुखित होकर निम्न विधिक आधारों पर प्रस्तुत की है।

offen

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ८ नोष्ट्रा ८ १००४ ८ १००४ विन्ना नोष्ट्रांस

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/होशं./भू.रा./2017/2011 जिला होशंगाबाद रथान तथा दिनांक कार्यवाही तथा आदेश पक्षकारों एवं अभिभाषकों जादि के हस्ताक्षर

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-4-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना तहसीलदार द्वारा प्रमाणित पाते ह्ये प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मुल्य का 20 प्रतिशत अर्थदण्ड रुपये 62,900/-अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के रुपये 62,900 / - अर्थदण्ड को रुपये 40,000 / - में परिवर्तित किया गया है जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील का आदेश स्थिर रखने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

agn

अध्यक्ष/